

सं. डब्ल्यू-02/0004/2014-डीपीई (मजूरी कक्ष)/एफटीएस-424

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

लोक उद्यम भवन,
ब्लॉक सं. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 09 जुलाई, 2025

कार्यालय ज्ञापन

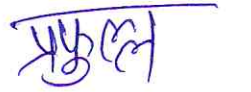
विषय:- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में असंघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के पदों के वेतनमान में 01.01.1997 से संशोधन-संशोधित दरों पर आईडीए का भुगतान।

अधोहस्ताक्षरी को लोक उद्यम विभाग के दिनांक 25.06.1999 के कार्यालय ज्ञापन के अनुलग्नक-III जिसमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दरों का उल्लेख किया गया है, का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि 1997 वेतनमान अपनाने वाले सीपीएसई के लिए महंगाई भत्ता की दर दिनांक 01.07.2025 से संशोधित कर 452.3% कर दी गई है।

2. महंगाई भत्ते की उपर्युक्त दर अर्थात् 452.3% आईडीए कर्मचारियों के मामले में लागू होगी, जिन्हें डीपीई के दिनांक 25.06.1999 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार संशोधित वेतनमान (1997) की अनुमति दी गई है।

3. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि ऊपर बताई गई बातों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी सीपीएसई के ध्यान में लाने के लिए अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई करें।

4. इसे सचिव, लोक उद्यम विभाग के अनुमोदन से जारी किया गया है।



(डॉ. पी.के. सिन्हा)

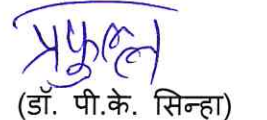
उप-सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में वित्तीय सलाहकार।
3. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।



(डॉ. पी.के. सिन्हा)

उप-सचिव, भारत सरकार